


**कार्यालय जनपद न्यायाधीश कासगंज ।
कोटेशन -सूचना**

एतदद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि जनपद न्यायालय कासगंज प्रयुक्त प्रिंटर मॉडल एच.पी. लेजर जेट प्रॉ M227FDW OR M203DN के 40 नग टोनर कार्टेज रिफिल कराने के सम्बन्ध में अधिकृत पंजीकृत डीलर/ फर्मों से कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं उक्त अधिकृत पंजीकृत डीलर/फर्मों को कोटेशन के लिये दी गयी शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा।

- 1- कोटेशन बंद लिफाफे में जनपद न्यायाधीश कासगंज के कार्यालय केन्द्रीय नजारात कासगंज में दिनांक 23.12.2019 तक (कार्यालय समय 10.00 बजे से 4.00 बजे तक) अंतिम रूप से स्वीकार किये जायेगे।
- 2-कोटेशन दिनांक 23.12.2019 को सायंकाल 4.00 बजे क्रय समिति जनपद न्यायालय कासगंज के समक्ष खोले जायेगे।
- 3- किसी भी कोटेशन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकारी माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज का होगा।
- 4- किसी भी कोटेशन को बिना कोई कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश कासगंज द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
- 5-कोटेशन खोलन के समय फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है।
- 6-कोटेशन में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई भी भुगतान जैसे किराया इत्यादि अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
- 7- भुगतान प्रिंटर मॉडल एच.पी. लेजर जेट प्रॉ M227FDW OR M203DN टोनर कार्टेज रिफिल कराने के उपरान्त ही किया जायेगा विलम्ब होने पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
- 8-कोटेशन में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का छेत्राधिकार जनपद न्यायालय कासगंज में होगा।
- 9-कोटेशन खोलने के उपरान्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 10-कोटेशन से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी कार्यालय केन्द्रीय नजारात जनपद न्यायालय कासगंज से किसी भी कार्य दिवस में समय प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक ली जा सकती है।

दिनांक-16.12.2019


(कृपाशंकर शर्मा)

अध्यक्ष क्रय समिति /

विशेष न्यायाधीश एससी0 / एसटी0 एक्ट
कासगंज।